



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269006
CG-DL-E-02012026-269006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5933]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5933]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6143(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2620 तारीख 13/06/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH11 के कि.मी. 0 से कि.मी. 101.197 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरणे / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 25/06/2025 को “दैनिक भास्कर”, 25/06/2025 को “राजस्थान पत्रिका” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में NH11 के कि.मी. 0 से कि.मी.101.197 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान			जिले का नाम: जैसलमेर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सम					
गांव का नाम: माणेरी					
1	1187/904	सरकारी	बंजड़	0.0158	राज. सरकार
2	1188/909	सरकारी	बंजड़	0.5235	राज. सरकार
3	1189/910	निजी	बारानी	0.1899	चन्द्रकँवर पत्नि मोकमसिंह, देवीसिंह पुत्र मोकमसिंह, धर्मदाससिंह पुत्र मोकमसिंह
4	1190/911	निजी	बारानी	0.0038	चन्द्रकँवर पत्नि मोकमसिंह, देवीसिंह पुत्र मोकमसिंह, धर्मदाससिंह पुत्र मोकमसिंह
5	1237/922	निजी	बंजड़	0.9197	सवाईराम पुत्र नारायणराम, अशोकराम पुत्र नारायणराम रहन बैंक ऑफ बड़ौदा खुहड़ी
6	551	सरकारी	बंजड़	0.0073	राज. सरकार
7	611	सरकारी	बंजड़	0.0355	राज. सरकार
8	898	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0048	राज. सरकार
9	912	सरकारी	बंजड़	0.0291	राज. सरकार
10	925	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0206	राज. सरकार

11	934	सरकारी	बंजड़	0.2025	राज. सरकार
गांव का नाम: खुहड़ी					
12	1140/215	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0255	राज. सरकार
13	1142/227	सरकारी	गै.मु.रास्ता	0.0513	राज. सरकार
14	1143/229	सरकारी	बंजड़	0.9204	राज. सरकार
15	1156/399	सरकारी	बंजड़	0.9449	राज. सरकार
16	1162/370	सरकारी	गै.मु.गौचर	0.681	अन्य सरकारी विभागों सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संधारित भूमी
17	1163/341	सरकारी	गै.मु.गौचर	0.001	अन्य सरकारी विभागों सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा संधारित भूमी
18	1171/664	सरकारी	बंजड़	0.2305	राज. सरकार
19	228	सरकारी	बंजड़	0.0349	राज. सरकार
20	230	सरकारी	बंजड़	0.0383	राज. सरकार
21	381	सरकारी	बंजड़	0.0078	राज. सरकार
22	400	सरकारी	गै.मु.सड़क	0.6008	राज. सरकार
23	465	सरकारी	बंजड़	0.3609	राज. सरकार
24	650	सरकारी	बंजड़	1.3894	राज. सरकार
25	654	सरकारी	बंजड़	0.2919	राज. सरकार
Total				7.5311	

[फा. सं. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2025

S.O. 6143(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2620 Dated:13/06/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH11 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 101.197 in the district of JAISALMER in the state of RAJASTHAN

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” dated 25/06/2025, “Rajasthan Patrika” dated 25/06/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH11 in the stretch of land from Km. 0 to Km. 101.197 in the district of JAISALMER in the state of RAJASTHAN

State: RAJASTHAN			District: JAISALMER		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: SAM					
Village: Maneri					
1	1187/904	Government	Banjar	0.0158	State Government
2	1188/909	Government	Banjar	0.5235	State Government
3	1189/910	Private	Barani	0.1899	Chandrakawar W/o Mokam Singh, Devi Singh S/o Mokam Singh, Dharmdas Singh S/o Mokam Singh
4	1190/911	Private	Barani	0.0038	Chandrakawar W/o Mokam Singh, Devi Singh S/o Mokam Singh, Dharmdas Singh S/o Mokam Singh
5	1237/922	Private	Banjar	0.9197	Sawairam S/o Narayanram, Ashokram S/o Narayanram Mortgage in B.O.B. Khuri
6	551	Government	Banjar	0.0073	State Government
7	611	Government	Banjar	0.0355	State Government
8	898	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0048	State Government
9	912	Government	Banjar	0.0291	State Government
10	925	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0206	State Government

11	934	Government	Banjar	0.2025	State Government
Village: Khuri					
12	1140/215	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0255	State Government
13	1142/227	Government	Gai.Mu.Rasta	0.0513	State Government
14	1143/229	Government	Banjar	0.9204	State Government
15	1156/399	Government	Banjar	0.9449	State Government
16	1162/370	Government	Gai.Mu.Gochar	0.681	Anya Sarkari Vibhago Sarwajanik Sansthaon Dwara Sandharit Bhumi
17	1163/341	Government	Gai.Mu.Gochar	0.001	Anya Sarkari Vibhago Sarwajanik Sansthaon Dwara Sandharit Bhumi
18	1171/664	Government	Banjar	0.2305	State Government
19	228	Government	Banjar	0.0349	State Government
20	230	Government	Banjar	0.0383	State Government
21	381	Government	Banjar	0.0078	State Government
22	400	Government	Gai.Mu. Road	0.6008	State Government
23	465	Government	Banjar	0.3609	State Government
24	650	Government	Banjar	1.3894	State Government
25	654	Government	Banjar	0.2919	State Government
Total				7.5311	

[F. No. NHAI/LA/Jsm-Myajlar-Sundra/2025/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director